समक्ष– माननीय [redacted], राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व पुनरीक्षण कमांक :– I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा.सं./2017/4802

प्रस्तुत दिनांक 27/11/2017

राजेश कुमार इनवाती उम्र 47 वर्ष पिता
स्वर्गीय श्री दादूराम इनवाती, महाकाली
मंदिर के पास गढा फाटक जबलपुर, —————— अर्जीदार

विरूद्ध

म0प्र0शासन
द्वारा जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा —— अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता।

विद्वान जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 04/अ–21/2017–2018 गैर आदिवासी को भूमि विकय बावद् ग्राम सिवनी प्राणमोती बंदोवस्त कं0 573 प0ह0नं0 20 तहसील छिंदवाड़ा राजेशकुमार इनवाती विरूद्ध म0प्र0 शासन, अंतर्गत धारा 165 (6) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से दिनांक 26.10.2017 को पारित आदेश के अधीन अर्जीदार का आवेदन अपास्त किये जाने से दुखी होकर पर्याप्त आधारों सहित निम्न अपील प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदक ने कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष ग्राम सिवनी प्राणमोती प0ह0नं0 23, रा0नि0मं0 छिंदवाड़ा (अधिसूचित क्षेत्र से बाह्य) स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 125/3 रकबा 0.164 एवं 136/2रकबा 0.342 हेक्टर कुल रकबा 0.506 हे0 संहिता की धारा 165 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत गैर आदिवासी को विकय करने की अनुमति बावद आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें जिन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4802 **जिला** – छिंदवाड़ा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/12/17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण भूमि विक्रय के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा ग्राम सिवनी प्राण मोती पटवारी हल्का नं. 23 तहसील छिंदवाड़ा व जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 125/2 रकवा 0.164 एवं खसरा नं. 136/2 रकवा 0.342 हे. कुल रकवा 0.500 हे. गैर–आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि आवेदक का आवेदन संहिता की धारा 165 (6) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः उसे निरस्त किया जाता है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक एवं विधि सम्मत नहीं हैं, क्योंकि जो आवेदन आवेदक ने जिलाध्यक्ष के समक्ष पेश किया है उसमें उन्होंने यह कहा है कि वह तहसील सैपुरा जिला जबलपुर के शासकीय स्कूल में लिपिक के पद पर कार्यरत है। आवेदित भूमि उसके द्वारा दिनांक 01.02.2006 को पंजीकृत विक्रय–पत्र से क्रय की गई है। उक्त भूमि शासन से आबंटित नहीं है। आवेदक विगत कई वर्षों से हाईस्कूल सैपुरा में कार्यरत एवं पदस्थ होने एवं जबलपुर में निवासरत होने के कारण उक्त भूमि का काश्त करने में असमर्थ है। आवेदन में उसने अपनी 85 वर्षीय मां के इलाज, पुत्रों की उच्च शिक्षा एवं जबलपुर में आवासीय मकान क्रय करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होने के कारण उक्त भूमि को विक्रय करने का अनुरोध किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं की बिना जांच किए एवं उस	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ता
	पर बिना विचार किए आवेदक का आवेदन निरस्त करने में न्यायिक त्रुटि की गई है। अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार के पश्चात् आवेदक को आलोच्य भूमि गैर–आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रस्तावित केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल अदा किया जाएगा तथा विक्रय प्रतिफल की राशि आवेदक के खाते में जमा की जाएगी। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी आवेदन निराकृत किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य	